अंचल अधिकारी का कार्यालय, राजनगर।

भूमिहीन लाभूकों को भूमि बन्दोवस्ती करने संबंधी
अभिलेख संख्या- 01/2020-21
अंचल का नाम - राजनगर, अनुमण्डल- सरायकेला।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
10.07.20	अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक 1571/रा0, सरायकेला, दिनांक 08.07.2020 द्वारा प्राप्त सरकार के सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक 1447/रा0, दिनांक 15.06.2020 मे निहित निदेश के आलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत पूर्व में प्रापत स्थायी प्रतीक्षा सूची के क्रमांक 3734 जिला क्रमांक 148 पर दर्ज भूमिहीन लाभूक छुटनू कालिन्दी, पति स्व0 देवेन कालिन्दी को भूमि बन्दोवस्ती के माध्यम से सरकारी भूमि उपलब्ध कराने हेतु खोला गया है। संबंधित राजस्व कर्मचारी/ अंचल निरीक्षक एवं अंचल अमीन से उक्त कार्य हेतु सुयोग्य, विवादरहित भूमि का चयन कर प्रस्ताव एवं भूमि सत्यापन प्रतिवेदन (ट्रैस नक्शा सहित) उपलब्ध कराने हेतु नोटिश निर्गत करे,तथा पूर्व में किये गये ग्राम सभा के आलोक में सर्वसाधारण सूचना निर्गत कर आपत्ति आमंत्रित करे। अभिलेख दिनांक 21.07.2020 को उपस्थापित करे। लेखापित अंचल अधिकारी, राजनगर।	
21.07.20	अभिलेख उपस्थापित किया गया। सर्वसाधारण सूचना प्राप्त। ग्राम सभा का प्रतिवेदन प्राप्त संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। जाँच प्रतिवेदनानुसार आवेदक आवेदन का जाँच तथा राजस्व अभिलेखों से मिलान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के भूमिहीन लाभूकों को भूमि बन्दोवस्ती हेतु आवेदित भूमि मौजा- राजनगर, थाना नं0- 151, खाता नं0- 142, अनाबाद बिहार सरकार तथा वर्त्तमान झारखण्ड सरकार खेसरा सं0- 371, कुल रकवा 14.53 एकड़, किस्म पुरानी परती मे से कुल रकवा 0.08 एकड़ भूमि बन्दोवस्ती करने हेतु जाँच प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया गया है। साथ ही यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त खेसरा की भूमि मंदिर, मसजिद, पूजा स्थल, श्मशान से मुक्त है। ग्रामीणों ने ग्राम सभा कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया है। जनसेवक द्वारा भी जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित किया गया है कि आवेदक छुटनू कालिन्दी, पति स्व0- देवेन कालिन्दी, ग्राम-राजनगर अनुसूचित जाति के है, भूमिहीन है, आवास निर्माण के लिए भूमि नहीं है। अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा आवेदित भूमि को भूमि बन्दोवस्ती करने हेतु अभिलेख के साथ जाँच प्रतिवेदन, ट्रेस नक्शा तीन प्रति, कन्टीन्युस खतियान तीन प्रति, चेक स्लीप तीन प्रति, ग्राम सभा की प्रति (मूल रूप में)/ सर्वसाधारण सूचना (आम ईस्तेहार) संलग्न है। अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं सम्पूर्ण दस्तावेजों के आलोक में स्पष्ट मंतव्य के साथ मूल अभिलेख अनुशंसा सहित अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला-खरसावाँ को भेजें। अंचल अधिकारी, राजनगर।	

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का कार्यालय, सरायकेला।

भूमिहीन लाभुकों को भूमि बन्दोवस्ती करने संबंधी अभिलेख सं0-01/2020-21

आदेश की क्रम संख्या और तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
07-08-2020	अभिलेख उपस्थापित। अपर उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक 1571/रा0, सरायकेला, दिनांक 08.07.2020 एवं सरकार के सचिव, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार राँची के पत्रांक 1356/रा0 दिनांक 03.06.2020 में निहित निदेश के आलोक में अंचल अधिकारी, राजनगर का पत्रांक 516 दिनांक 23.07.2020 के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के क्रमांक 3734 जिला क्रमांक 148 पर दर्ज भूमिहीन लाभुक छुटन कालिन्दी पति स्व0 देवेन कालिन्दी को भूमि बन्दोवस्ती के माध्यम से सरकारी भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित अभिलेख सं0-01/2020-21 प्राप्त हुआ है। जिसका अवलोकन किया गया। अंचल अधिकारी, राजनगर के जाँच प्रतिवेदनानुसार आवेदक का आवेदन पत्र को राजस्व अभिलेखों से मिलान कर जाँच किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अन्तर्गत स्थायी प्रतीक्षा सूची के भूमिहीन लाभुक को भूमि बन्दोवस्ती हेतु आवेदित भूमि मौजा-राजनगर, थाना नं0-151, खाता नं0-142 अनावाद बिहार सरकार वर्तमान झारखण्ड सरकार खेसरा सं0-371 कुल रकवा-14.53 एकड़, किस्म पुरानी परती में से कुल रकवा-0.08एकड़ भूमि बन्दोवस्ती करने हेतु राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक का अनुशंसा प्राप्त है। प्रस्तावित भूमि मंदिर, मस्जिद, पूजा स्थल, श्मशान घाट इत्यादि से मुक्त है एवं ग्रामीणों से भी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। जनसेवक द्वारा भी जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित किया है कि आवेदिका छुटनू कालिन्दी, पति स्व0 देवेन कालिन्दी, ग्राम-राजनगर अनुसूचित जाति के श्रेणी में आता है एवं आवास निर्माण के लिए भूमि नहीं है। अभिलेख के साथ जाँच प्रतिवेदन, ट्रेश नक्शा, कन्टीन्युअस खतियान, चेक स्लिप तीन-तीन प्रति एवं सर्वसाधारण सूचना(आमं ईस्तेहार) संलग्न है। अतः अंचल अधिकारी, राजनगर से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) अन्तर्गत भूमिहीन लाभुक आवेदिका छुटनू कालिन्दी, पति स्व0 देवेन कालिन्दी, ग्राम-राजनगर को कुल-0.08 एकड़ भूमि बन्दोवस्ती हेतु अनुशंसा किया जाता है। अभिलेख अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला को भेजें। लेखापित 07/08/2020 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता सरायकेला। 07/08/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला।	

07-08-2020 अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, राजनगर/भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला के जाँच प्रतिवेदन एवं मंतव्य का अवलोकन किया गया। अतः अंचल अधिकारी, राजनगर एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के अलोक में प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण) अन्तर्गत भूमिहीन आवेदिका छुटनू कालिन्दी, पति स्व0 देवेन कालिन्दी, ग्राम-राजनगर को मौजा-राजनगर, थाना नं0-151, खाता नं0-142 अनाबाद बिहार सरकार तथा वर्तमान झारखण्ड सरकार के खेसरा सं0-371 कुल रकवा-14.53 एकड़, किस्म पुरानी परती में से कुल रकवा-0.08 एकड़ भूमि बन्दोवस्ती की स्वीकृति दी जाती है। अभिलेख अंचल अधिकारी, राजनगर को कार्रवाई हेतु भेजे।

7/08/2020

अनुमण्डल पदाधिकारी,
सरायकेला।